

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-514 / 2018

आदेश दिनांक

05.11.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्रीमती सुमन चौधरी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
श्री राहुल तिवाड़ी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया
संहिता का जवाब प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता अपीलार्थी ने समय चाहा।

अपीलार्थी जवाब की अग्रिम प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को उपलब्ध कराते
हुए दो सप्ताह में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर सकेंगे।

यह अपील चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-116



सत्यमेव जयते